

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोरख नाथ (भा०प्र०से०),
अपर सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
भागलपुर/सिवान/डिहरी/मोतिहारी।

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/कटिहार।

मुख्य अभियंता,
समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना।

मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनेटरिंग, पटना।

पटना, दिनांक:-

विषय:- परिक्षेत्राधीन ०३ (तीन) वर्ष से अधिक एक स्थान पर पदस्थापित वर्ग-३ के कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि स्थानांतरण-पदस्थापन का यह स्पष्ट नियम है कि वर्ग-३ के कर्मियों को किसी भी पद पर तीन वर्ष से अधिक अवधि तक न रखा जाय तथा उन्हें गृह जिला में न पदस्थापित किया जाय। प्राप्त विभिन्न परिवादों से यह स्पष्ट हो रहा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-०३ के कर्मी एक ही स्थान पर तीन वर्ष या तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित हैं।

२. उक्त स्थिति में वर्ग-३ के कर्मियों का स्थानीय निवासियों, संवेदक एवं अन्य लोगों के साथ साँठ-गाँठ बढ़ जाती है जिस कारणवश जहाँ एक ओर वहाँ पदस्थापित अभियंताओं को कार्य करने में कठिनाई होती है वही दुसरी ओर सरकार के द्वारा स्थापित नियमों का उलंघन भी होता है।

३. इस संबंध में अनुरोध है कि अपने परिक्षेत्राधीन कार्यालयवार तीन वर्ष या तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित कर्मियों को चिन्हित किया जाय तथा विहित प्रपत्र में कार्यालय का नाम, पदस्थापित कर्मी का नाम, पदनाम, पदस्थापन स्थान, पदस्थापन की तिथि, पूर्व पदस्थापित स्थान आदि अंकित करते हुए उसकी सूचना एक पक्ष के अन्तर्गत निश्चितरूपेण भेजी जाय।

विश्वासभाजन

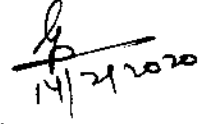
ह०/-

(गोरख नाथ)
अपर सचिव।

क्रमांक:- 293

पटना, दिनांक- 14.2.2020

प्रतिलिपि:- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आईटी मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार,
पटना को प्रेषित।


14/2/2020

(गोरख नाथ)
अधर सचिव।